# प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखाओं के परीक्षण से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट हैं।

3. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के विनियोजन लेखाओं के परीक्षण से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में अंतर्विष्ट हैं।

4. ''वित्तीय प्रतिवेदन करने'' पर अध्याय 3 चालू वर्ष के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजस्व तथा सामान्य सैक्टरों से संबंधित विभागों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति दर्शाता है।